

न्यायालय— सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला—बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.कमांक-603 / 2013

संस्थित दिनांक-03.07.2013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—मलाजखण्ड

जिला—बालाघाट (म.प्र.) — — — — — अभियोजन

// विरुद्ध //

1—संजू उर्फ शैलेन्द्र पिता महादास टांडिया, उम्र-24 वर्ष,

निवासी—वार्ड नं-4, मोहगांव, थाना मलाजखण्ड,

जिला बालाघाट (म.प्र.)

2—टिरकू उर्फ हुसैनदास पिता मलुकादास, उम्र 40 वर्ष,

निवासी—वार्ड नं-4, मोहगांव, थाना मलाजखण्ड,

जिला बालाघाट (म.प्र.), — — — — — आरोपीगण

// निर्णय //

(आज दिनांक- 27/01/2015 को घोषित)

1— आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323/34 (तीन काउंट), 506 (भाग-दो) के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक-30.05.2013 की रात करीब 8:00 बजे ग्राम मोहगांव थाना मलाजखण्ड अंतर्गत फरियादी रामकली, मटूकदास एवं संतोष को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालो को क्षोभ कारित कर, उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर, उसके अग्रसरण में आहतगण रामकली, मटूकदास एवं संतोष को लकड़ी एवं हाथ-मुक्के से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित किया तथा संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक-30.05.2013 को रात्रि करीब 8:00 बजे ग्राम मोहगांव में फरियादी रामकली के पति मटूकदास का विवाद संजू पनिका के साथ हो रहा था, तो उसने जाकर पूछा तो आरोपी संजू पनिका कहने लगा कि हम्माली का सामान बुद्धा नहीं उठाया और उसे धक्का मार दिया। आरोपी ने उसके पति को लाठी से घुटने में और दाहिने हाथ के अंगूठे में मारा जिससे खून निकलने लगा और उसने बीच-बचाव किया तो आरोपी ने उसे भी लाठी से मारा जिससे उसका भी खून निकलने लगा, तभी फरियादी रामकली का लड़का संतोषदास बीच-बचाव करने पहुंचा तो वहां हुसैनदास पनिका भी आ गया और उसने संतोषदास

को सिर में दाहिने कान के पास लाठी मारी जिससे खून निकलने लगा, फिर आरोपी संजू ने रामकली को कमल में लाठी मारी जिससे उसे मूंदी हुई चोटें आई, फिर आरोपीगण संजू व हुसैन ने सभी आहतगणों को अश्लील गालियां देते हुए कहा कि थाने में रिपोर्ट करने जाओगे तो जान से खत्म कर देंगे। उक्त घटना की रिपोर्ट प्रार्थिया ने थाना बैहर में जाकर की। उक्त रिपोर्ट पर आरक्षी केन्द्र बैहर में आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक-76/13, धारा-294,323,324/34 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई तथा आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया तथा घटना स्थल से घटना में प्रयुक्त लकड़ी जप्त की गई। पुलिस द्वारा गवाहों के कथन लिये गये एवं आरोपीगण को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3- आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323/34 (तीन काउन्ट), 506 (भाग-दो) के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपीगण ने धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया गया होना बताया है। आरोपीगण द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह हैं कि:-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक-30.05.2013 की रात करीब 8:00 बजे ग्राम मोहगांव थाना मलाजखण्ड अंतर्गत फरियादी रामकली, मटूकदास एवं संतोष को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?
2. क्या उक्त घटना, दिनांक समय व स्थान पर उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर, उसके अग्रसरण में आहतगण रामकली, मटूकदास एवं संतोष को लकड़ी एवं हाथ-मुक्के से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित किया ?
3. क्या उक्त घटना, दिनांक समय व स्थान पर आहतगण को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक संत्रास देकर अभित्रास कारित किया?

विचारणीय बिन्दुओं का सकारण निष्कर्ष :-

5- रामकली (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानती है। घटना लगभग 6-8 माह पूर्व की है। आरोपी संजू से उन लोगों की कहा-सुनी हो गई थी। आरोपी संजू ने उसके पति से खींचतान की थी, किन्तु मारपीट नहीं की थी। खींचतानी से उसके पति के सर पर खरोंच आयी थी। आरोपी टींकू उर्फ हुसैनदास ने बीच-बचाव किया था। उसके साथ किसी ने मारपीट नहीं की थी, छुड़ाने गई थी तो मारपीट किये थे। उक्त घटना की रिपोर्ट उसके थाना मलाजखण्ड में की थी। वह हस्ताक्षर के रूप में अंगूठा निशानी लगाती है। उसका ईलाज शासकीय अस्पताल बिरसा व शासकीय अस्पताल बालाघाट में हुआ था। पुलिस ने उससे पूछताछ कर बयान लेखबद्ध किये थे। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर

उससे सूचक प्रश्न पूछने पर उसने यह स्वीकार किया कि आरोपी संजू ने पास से लकड़ी उठाकर मटुकदास को पैर के घुटने तथा दाहिने हाथ में मारा था और जब वह और संतोष बीच-बचाव करने गए तो आरोपीगण ने उन्हें भी मारा था। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि आरोपीगण ने किसी प्रकार की मारपीट नहीं की थी, तथा उन्हें किसी प्रकार की चोट नहीं आई थी। इस प्रकार उक्त साक्षी ने अपनी साक्ष्य में परस्पर विरोधाभास कथन किये हैं, तथा साक्षी के कथन से अभियोजन को महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं होता है।

6— मटुकदास (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना लगभग एक वर्ष पूर्व की है। घटना दिनांक को आरोपीगण और रामकली बाई का विवाद हो रहा था। जब वह बाजार से लौटा तो उन्हें समझाने लगा। उसके बाद आरोपीगण भाग गए। आरोपीगण ने उसके साथ कोई मारपीट नहीं की। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लेखबद्ध किये थे। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर उससे सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपीगण ने उसे, रामकली व संतोष के साथ मारपीट कर चोट पहुंचाई थी। साक्षी ने अपनी साक्ष्य में अभियोजन मामले का महत्वपूर्ण समर्थन नहीं किया है।

7— लक्ष्मीबाई (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन की है कि वह घटना सुनकर रात 8 बजे अपने घर से बाहर निकली। उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर उससे सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपीगण ने आहत मटुकदास, रामकली व संतोष को उसके सामने मारपीट कर चोट पहुंचाई थी। साक्षी ने उसके पुलिस कथन से भी इंकार किया है। साक्षी ने अपनी साक्ष्य में अभियोजन मामले का महत्वपूर्ण समर्थन नहीं किया है।

8— संतोष अ.सा. 5 ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर उससे सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपीगण ने उसे, उसकी माँ रामकली व उसके पिता मटुकदास के साथ मारपीट कर चोट पहुंचाई थी। साक्षी ने अपनी साक्ष्य में अभियोजन मामले का महत्वपूर्ण समर्थन नहीं किया है। साक्षी ने उसके पुलिस कथन से भी इंकार किया है। साक्षी ने अपनी साक्ष्य में अभियोजन मामले का महत्वपूर्ण समर्थन नहीं किया है।

9— अनुसंधानकर्ता अधिकारी मुकेश रंगारी अ.सा. 4 ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 30.05.13 को वह थाना मलाजखण्ड में प्रधान आरक्षक के पद पर होते हुए उसने मामले की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त कर घटनास्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी-2 तैयार किया व साक्षीगण के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया। उसने जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-5 एवं प्रदर्श पी-6 के अनुसार आरोपीगण से लकड़ी जप्त की। आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-7 एवं 8

तैयार किया जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। साक्षी ने समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में मामले में की गई अनुसंधान कार्यवाही को प्रमाणित किया है।

10— अभियोजन की ओर से महत्वपूर्ण साक्षीगण के रूप में आहतगण रामकली (अ.सा.1), मटुकदास (अ.सा.2) व संतोष (अ.सा.5) की साक्ष्य कराई गई, किन्तु उक्त साक्षीगण ने आरोपीगण द्वारा उन्हें मारपीट किये जाने के संबंध में अभियोजन का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है। मात्र रामकली (अ.सा.1) की साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि घटना के समय आरोपीगण के साथ उनका वाद विवाद हुआ था। उक्त महत्वपूर्ण साक्षीगण ने मामले में आरोपीगण के विरुद्ध लिखाई गई रिपोर्ट एवं उनके पुलिस कथन के अनुरूप साक्ष्य पेश न कर मारपीट की घटना का किसी भी प्रकार से समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है। इसके अलावा उक्त साक्षीगण ने आरोपीगण द्वारा घटना के समय उन्हें अश्लील शब्दों का उच्चारण किये जाने और जान से मारने की धमकी दिए जाने के तथ्य को भी अपनी साक्ष्य में प्रकट नहीं किया है। इस प्रकार आरोपीगण के विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में साक्ष्य का पूर्णतः अभाव है।

11— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि घटना दिनांक, समय व स्थान पर आरोपीगण ने फरियादी रामकली, मटुकदास एवं संतोष को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कर, उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर, उसके अग्रसरण में आहतगण रामकली, मटुकदास एवं संतोष को लकड़ी एवं हाथ-मुक्के से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित किया तथा संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। अतएव आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323/34 (तीन काउन्ट), 506 (भाग-दो) के अपराध के अन्तर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

12— आरोपीगण के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

13— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति लकड़ी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट किया जावे अथवा अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट